

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

:: आदेश ::

पटना दिनांक— 01.10.2026

संचिका सं०-07/मु०-02-34/2026...2857/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० सं०-1195/2026 (सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-20214/2025 से उद्भूत) किरण कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.09.2026 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2752 दिनांक 21.09.2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए यह आदेश निर्गत किया जाता है।

2. उक्त अवमाननावाद सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-20214/2025 से उद्भूत है, जिसमें दिनांक-16.12.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-851 दिनांक-21.02.2026 निर्गत किया गया था, जिसमें स्थानांतरण नियमावली तैयार होने के उपरांत वादिनी के स्थानांतरण के मामले में प्राथमिकता के आधार पर विचार किये जाने का दिशा-निर्देश निर्गत हैं।

3. उक्त के क्रम में वादिनी द्वारा एम०जे०सी० सं०-1195/2026, किरण कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-16.09.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"..... 6. The Court, prima facie, is in agreement with the submissions made by the learned counsel appearing on behalf of the petitioner that the show-cause and the supplementary show-cause on behalf of opposite party no. 3 is evasive but since the learned State Counsel is seeking time, hence, the Court, for the present, is giving the State another opportunity to take a final decision with respect to the petitioner considering her genuine medical condition.

7. If no decision is taken within a period of one week from today, in that event, the show cause and the present show cause shall be rejected on the next date and the authorities competent shall be called for framing of charge.

8. Put up this case on 24.09.2026 at 12:45 p.m."

4. उपरोक्त न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-2716 दिनांक-17.09.2026 द्वारा दिनांक-18.09.2026 को वादिनी के अधिवक्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। वादिनी के अधिवक्ता द्वारा उनके गंभीर (Left Thigh Degloving Injury post-accident) तथा माननीय न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केलबारी, बी०आर०सी०-बिथान, समस्तीपुर से उनके गृह जिला पटना के समीप विद्यालय में पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2752 दिनांक-21.09.2026 के द्वारा वादिनी के गंभीर चिकित्सीय हालत एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में उनकी प्रतिनियुक्ति मध्य विद्यालय कंडप (M.S. KANDAP, UDISE 10281000604), पंचायत कंडप तारनपुर, प्रखंड संपतचक, जिला-पटना में स्वस्थ होने तक प्रतिनियुक्त किया गया है।

6. तत्पश्चात्, माननीय न्यायालय में उक्त अवमाननावाद (एम0जे0सी0 संख्या-1195/2026) की पुनः सुनवाई दिनांक 24.09.2026 को सुनवाई हुई, जिसमें निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"...2. The Court has gone through the show-cause filed on behalf of OP No. 3, but then is not satisfied as the same does not suggest that the order of the Writ Court stands complied, on which the learned counsel appearing on behalf of the State seeks 10 days time for filing a supplementary show-cause clearly stating how the State intends to comply the order of the Writ Court.

3. Put up this case on 07.10.2026 at 1:00 PM....."

7. अतः वादिनी श्रीमती किरण कुमारी, विद्यालय अध्यापक (01-05), उत्क्रमित मध्य विद्यालय केलबारी, प्रखंड-बिथान, जिला-समस्तीपुर की अत्यंत गंभीर चिकित्सीय स्थिति (Left Thigh Degloving Injury) एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन तथा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के प्रावधानों के सम्यक पालन के दृष्टिकोण से विभागीय आदेश संख्या-2752 दिनांक-21.09.2026 के कंडिका-8 को एतद् द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

(i) वादिनी वर्तमान में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर संचालित स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत अपने इच्छित विद्यालय/जिला के विकल्प हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगी। पोर्टल द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इच्छित/निकटवर्ती विद्यालय का आवंटन होते ही इनका नियमित स्थानांतरण एवं पदस्थापन उस आवंटित विद्यालय में कर दिया जाएगा। इस हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालय के संदर्भ में गठित राज्य स्थापना समिति को विभागीय पत्रांक-2838 दिनांक-30.09.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है।

(ii) जब तक पोर्टल के माध्यम से नियमित पदस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है अथवा जब तक वादिनी चिकित्सीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ होकर सक्षम प्राधिकार द्वारा 'मेडिकल फिटनेस' (Medical Fitness Certificate) प्राप्त नहीं कर लेती हैं (जो भी पहले हो), तब तक वादिनी की वर्तमान व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय, कंडप (M.S. KANDAP, UDISE: 10281000604), प्रखंड-संपतचक, जिला-पटना में कार्यरत रहने की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(iii) उक्त व्यवस्था विशुद्ध रूप से वादिनी की गंभीर चिकित्सीय परिस्थिति एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में की गयी एक सामयिक प्रशासनिक व्यवस्था है। इसे किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरण नियमावली, 2026 के प्रावधानों के इतर सामान्य स्थानांतरण नहीं माना जाएगा और न ही भविष्य में किसी अन्य समरूप मामले के लिए इसे Precedence के रूप में उद्धृत किया जा सकेगा।

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

29/9/26

ज्ञापांक:—07 / मु0-02-34 / 2026.....2850

पटना, दिनांक:—01.10.2026.....

प्रतिलिपि:— 1. Kiran Kumari, D/o- Late Baldeo Yadav, Vidyalay Adhyapak (01-05) in UMS School, Kelbari, Block and BRC-Bithan, CRC- Sihma. District - Samastipur, PIN- 848207 को सूचनार्थ प्रेषित।

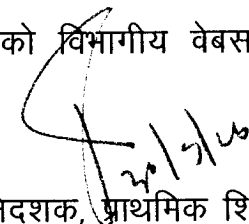
2. अपर विद्वान महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को माननीय न्यायालय के समक्ष पूरक कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), समस्तीपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।